अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 32/2023 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

कमलजीत सिंह पुत्र श्री उम्मेद सिंह पूनिया हाल निवासी प्लाट नम्बर 29, बजरंग विहार, मुरलीपुरा, जयपुर निवासी गौरस भण्डार के सामने, रोड नम्बर 1 वी के आई ए, जयपुर राजस्थान ।

अपीलार्थी

बनाम

1. उम्मेद सिंह पूनिया पुत्र स्व॰ श्री जयलाल लम्बरदार निवासी प्लाट नम्बर 29, बजरंग विहार, मुरलीपुरा, जयपुर हाल निवासी ए–45 बी, दधीची नगर, जयपुर ।
2. सबकौर देवी उर्फ साभकौर देवी पत्नी श्री उम्मेद सिंह पूनिया निवासी प्लाट नम्बर 29, बजरंग विहार, मुरलीपुरा, जयपुर हाल निवासी ए–45 बी, दधीची नगर, जयपुर।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 08.04.2022 अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी आमेर के प्रकरण संख्या 06/2021 ब उनवानी उम्मेद सिंह बनाम कमलजीत सिंह ।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

उपस्थितः–

1. अपीलान्ट उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी संख्या 1 उपस्थित है।

निर्णय दिनांक 21.08.2023

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के एस बी सिविल रिट पीटीशन नम्बर 6234/2022 आदेश दिनांक 01.05.2023 की पालना अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी आमेर के प्रकरण संख्या 06/2021 ब उनवानी उम्मेद सिंह बनाम कमलजीत सिंह में पारित निर्णय दिनांक 8.04.2021 से व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या एक व उसके प्रतिनिधि उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

4. अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रत्यर्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी संख्या एक 80 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति है जो कि अपनी पत्नी श्रीमती सावकौर देवी उर्फ सामकोर देवी आयु 73 वर्ष के साथ प्लाट नम्बर 29, बजरंग विहार मुरलीपुरा जयपुर में लगभग 33 वर्ष से निवास कर रहे है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्लाट नम्बर 29 स्वयं के द्वारा वर्ष 1988 में शंकर भवन निर्माण सहकारी समिति से 560 वर्गगज का खरीद किया था जिस पर बाद में स्वयं की जमा पूंजी से ही मकान का निर्माण करवाया था तथा यह उल्लेख भी किया कि प्रार्थीगण का बडा पुत्र कमलजीत सिंह जो कि कई सालों से बीकानेर किराये के मकान में रह रहा था एवं विगत 4–5 वर्षो से गौरस भण्डार के सामने रोड नं 1 वी के आई ए जयपुर पर निवास कर रहा था, ने एक सोची समझी साजिस के तहत पूर्व की अपनी गलतियों पर झूंठी माफी मांगते हुये दिसम्बर 2019 में प्रार्थीगण के मकान में स्वयं के किराये का मकान छोड कर घुस गया था तथा दिनांक 19.04.2021 को इन लोगों ने हद कर दी सांय 6.30 पीएम पर प्रार्थीगण के साथ कमलजीत सिंह ने मारपीट कर, दुर्व्यवहार ओर गाली गलौच कर जबरन मकान हडपने और प्रार्थीगण के मालिकाना हक का हनन करते हुए प्रार्थीगण को घर से जबरन निकाल कर बेघर कर दिया तथा उक्त प्रकार से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि पुलिस थाना मुरलीपुरा को निर्देश दिया जावे कि प्रार्थीगण के मकान नम्बर 29 बजरंग विहार मुरलीपुरा में से अप्रार्थी संख्या 1 व उसके परिवार के द्वारा किये गये नाजायज कब्जे को हटवाये व उन्हें उक्त निवास से बाहर निकाले व प्रार्थीगण को उक्त प्लाट/मकान का कब्जा दिलवाये ताकि वे उसमें शान्तिपूर्वक निवास कर सके। उक्त प्रार्थना पत्र का मिन अपीलार्थी जबाब पेश किया गया जिसमें स्पष्ट किया गया कि प्लाट नम्बर 29, बजरंग विहार, मुरलीपुरा जयपुर वर्ष 1988 में प्रार्थीगण के द्वारा खरीद किया जाना स्वीकार है, परन्तु उक्त प्लाट में निर्माण कार्य प्रार्थीगण के द्वारा स्वयं की जमा पूंजी से नहीं करवाया गया, बल्कि उक्त प्लाट के निर्माण में प्रार्थीगण व अप्रार्थी द्वारा संयुक्त रूप से रूपया खर्च कर निर्माण कार्य करवाया गया था जिसमें अप्रार्थी का भी रूपया लगा हुआ है। अपीलार्थी आर्मी में नौकरी करता था जो सेवा निवृत्त हो चुका है। अपीलार्थी, प्रार्थीगण का सबसे बडा पुत्र है एवं जब उक्त प्लाट में निर्माण कार्य किया गया तब अप्रार्थी नौकरी में था। इसलिए उक्त प्लाट के निर्माण में अप्रार्थी के द्वारा अपनी नौकरी से होने वाली आय से रूपया खर्च किया गया था। इसलिए प्रार्थीगण ये नहीं कह सकते कि उक्त प्लाट में सम्पूर्ण निर्माण प्रार्थी के द्वारा स्वयं की जमा पूंजी से करवाया गया हैं। प्रार्थीगण का सबसे छोटा पुत्र सुखवीर सिंह प्रार्थीगण के साथ कभी भी नहीं रहा बल्कि सुखवीर सिंह प्रार्थीगण की उक्त रिहायशी सम्पत्ति से अलग रिहायश करता था तथा अप्रार्थी परिवार सहित उक्त सम्पत्ति में पिछले लगभग 30 वर्षो से मय परिवार रिहायश कर रहा है तथा अपीलार्थी के उक्त सम्पत्ति के पहचान के दस्तावेजात बने हुये। प्रार्थीगण व सुखवीर सिंह एवं उसकी पत्नी के बीच सम्पत्ति को ले कर आपस में विवाद हो गया तथा सुखवीर सिहं के द्वारा प्रार्थीगण की कोई सेवा सुश्रषा नहीं की जाती थी। इसके संबंध में प्रार्थीगण के द्वारा दिनांक 29.07.2019 को

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

एक शिकायत पुलिस थाना मुरलीपुरा जयपुर में सुखवीर व उसकी पत्नी के खिलाफ दी गई थी। जिसमें प्रार्थीगण द्वारा यही स्पष्ट अंकित किया गया था कि सुखवीर सिंह व उसकी पत्नी के द्वारा प्रार्थीगण को धोखे में रख कर व फर्जीवाडा कर उक्त सम्पत्ति प्लाट नम्बर 29 बजरंग विहार मुरलीपुरा जयपुर को श्रीमती कृष्णा पूनिया के नाम गिफ्ट करवा ली जिस पर प्रार्थीगण द्वारा दिनांक 03.10.2019 को उक्त सम्पत्ति जो श्रीमती कृष्णा पूनिया को जरिये रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड की गई थी वापस ले ली गई। प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थी के किसी भी प्रकार के बहकावे में आकर उक्त सम्पत्ति श्रीमती कृष्णा पूनिया से वापस नहीं ली गई बल्कि अप्रार्थी के द्वारा ही प्रार्थीगण की प्रारम्भ से ही सेवा सुश्रषा की जाती रही है तथा प्रार्थीगण प्रारम्भ से ही अप्रार्थी के साथ निवास करते आ रहे है तथा अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक यातना एवं प्रताडना कभी नही दी गई । अप्रार्थी जो कि आर्मी में नोकरी करता था तथा वर्तमान में सेवा निवृत्त हो चुका है तथा अप्रार्थी अपनी नौकरी के दौरान जयपुर से बाहर रहता था, परन्तु अप्रार्थी का परिवार उक्त प्लाट नं॰ 29 बजरंग विहार मुरलीपुरा जयपुर में ही रिहायश करता था तथा अप्रार्थी कभी भी किराये के मकान में नहीं रहा, बल्कि उक्त मकान के खरीद के समय से ही प्रार्थीगण के साथ मय परिवार रिहायश करता आ रहा है। प्रार्थीगण द्वारा यह गलत अंकित किया गया हे कि माह दिसम्बर 2019 में अप्रार्थी प्रार्थीगण के मकान में घुस गया हो बल्कि अप्रार्थी मय परिवार प्रार्थीगण के साथ उक्त सम्पत्ति में पिछले लगभग 30 वर्षो से रिहायश करता आ रहा है तथा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के मध्य पारिवारिक सम्पत्तियों के संबंध में दिनांक 17.08.2015 को पारिवारिक समझोता भी हो गया था तथा उक्त पारिवारिक समझोता पत्र में भी अप्रार्थी का पता प्लाट संख्या 29 बजरंग विहार मुरलीपुरा जयपुर अंकित है जिससे भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी उक्त सम्पत्ति में शुरू से ही रिहायश करता आ रहा है। प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व अप्रार्थीगण के मकान से जबरन घुसा जाने के संबंध मे कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट ही सक्षम क्षेत्राधिकार वाले पुलिस थाना में आज दिनांक तक दर्ज नहीं करवाई गई है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण का यह तथ्य मिथ्या एवं मनघढन्त है। अधीनस्थ अधिकरण ने दस्तावेजात का अवलोकन किये बिना अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 08.04.2022 को स्वीकार कर लिया । उक्त आदेश दिनांक 08.04.2022 के विरूद्व पूर्व में अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2022 में एक एस बी सिविल रिट पीटीशन संख्या 6234/20122 उनवानी कंवलजीत सिंह बनाम उम्मेद सिंह पूनिया व अन्य माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में पेश की थी। जिसमें माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 08.04.2022 की कार्यवाही को स्थगित करने के सबंध में स्टे आदेश प्रदान कर दिया था, किन्तु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.05.2023 को अपने आदेश से अपीलार्थी को आदेश दिनांक 08.04.2022 के विरूद्व अपील पेश करने के आदेश फरमाते हुये एस बी सिविल रिट पीटशीन नम्बर 6234/22 को डिस्पोजल ऑफ कर दिया था जिसके विरूद्व एक डी वी स्पेशल अपील (रिट) नम्बर 471/2023 प्रस्तुत की गई थी। जिसमे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ के द्वारा दिनांक 25.05.2023 को अपीलार्थी प्रार्थी को चार

जिला मॅजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

सप्ताह का समय अपील पेश करने हेतु दिया गया जिसकी अनुपालना में प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण व कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 2 (ख) भरण पोषण को गलत ढंस से पढ व समझ कर आदेश पारित किया है । क्योंकि उक्त धारा 2 (ख) मे भरण पोषण के अन्तर्गत भोजन, कपडे, निवास और चिकित्सकीय परिचर्चा और ईलाज हेतु व्यवस्था सम्मलित है, किन्तु बेदखली एविक्शन के संबंध में कोई उल्लेख नहीं होते हुये भी आलौच्य आदेश 08.04.2022 के तहत अपीलार्थी व उसके परिजनों को बेदखल करने का आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 22 व 23 के अवलोकन मात्र से स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी कमलजीत सिंह को ही विपक्षी बनाया गया था, किन्तु उक्त प्रार्थना पत्र अनुतोष को देखने व पढने से यह स्पष्ट होता है कि प्रत्यर्थी द्वारा कमलजीत सिंह को ही नही बल्कि उसके परिवारजनों को भी बेदखल करने का अनुतोष मांगा गया जो कि आलौच्य आदेश से प्रदान भी कर दिया, किन्तु विधि का यही सुस्थापित सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार को सुने बिना उसके विरूद्व आदेश पारित नही किया जा सकता है, परन्तु उक्त प्रकरण में अपीलार्थी कमलजीत सिंह को मात्र पक्षकार बना कर उसके परिजनों को भी बिना विधिवत पक्षकार बनाये ही व उनको बिना सुनवाई का अवसर दिये उक्त आलौच्य आदेश पारित कर दिया जो अपास्तनीय है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा विधि के विरूद्व अपना उक्त आदेश दिनांक 08.04.2022 पारित किया है क्यों कि इस संबंध में विधिक स्थिति बडी स्पष्ट है कि वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम की धारा 23 के तहत बेदखली का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है तथा न ही ऐसे किसी अनुतोष का उल्लेख उक्त अधिनियम की धारा 23 में दिया गया है तथा उक्त अधिनियम की धारा 23 के मुताबिक प्रार्थीगण द्वारा निष्पादित किए गए किसी दस्तावेज को ही अधिकरण के समक्ष चुनौती दी जाकर प्रभाव शून्य घोषित कराने का अनुतोष चाहा जा सकता है। जबकि उक्त प्रकरण में ऐसा कोई अनुतोष प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी के विरूद्व नही चाहा गया था। इसलिए भी प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कानूनन पोषणीय नहीं था। अधिनियम के प्रावधानों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एस बी सिविल नम्बर 1936/2022 का निस्तारण करते हुये दिनांक 21.02.2022 को विनोद शर्मा बनाम श्रीमती शान्ति देवी व अन्य मे यह सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया कि भरण पोषण अधिनियम में अधिकरण को उक्त अधिनियम के तहत बेदखली का कोई अधिकार व शक्ति प्राप्त नहीं है तथा उक्त न्यायिक दृष्टान्त के पेरा नम्बर 47 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि उक्त अधिनियम के नियम 20 के तहत जिला मजिस्ट्रेट वरिष्ठ नागरिकों के शरीर व सम्पत्ति को सुरक्षित करने की शक्तियां अवश्य प्रदान की गई है, परन्तु बेदखली का कोई अनुतोष उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कानूनन पोषणीय नहीं था तथा खारिज किए जाने योग्य था, परन्तु माननीय अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के विरूद्व जाकर अपना आलौच्य आदेश दिनांक 08.04.2022 पारित कर गम्भीर त्रुटि की है। उक्त न्यायिक दृष्टान्त के पैरा नम्बर 58 में भी माननीय उच्च

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि उक्त अधिनियम की धारा 8, 9, 19 व 22 के तहत भरण पोषण अधिकरण और उप खण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा बेदखली का आदेश पारित नहीं किया जा सकता है ऐसी स्थिति में भी प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय नही था तथा खारिज किये जाने योग्य था। वरिष्ठ नागरिकों का संरक्षण एवं भरण पोषण अधिनियम की धारा 32 के तहत उक्त अधिनियम के संबंध में नियमों को बनाने की शक्तियां राज्य सरकार को प्रदान की गई है तथा राजस्थान सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के नियम 2010 में बनाये गये नियमों में नियम 20 में उपखण्ड मजिस्ट्रेट की शक्तियों का उल्लेख किया गया है जिसमें बेदखली के संबंध में कोई शक्ति प्रदान नहीं की गई है। प्रार्थीगण द्वारा अपने अनुतोष में गुरूप्रीत सिंह बनाम स्टेट ऑफ पंजाब 2016 (आर सी आर पेज 324 न्यायिक निर्णय का उल्लेख किया गया था जबकि उक्त न्यायिक निर्णय मौजूदा प्रकरण पर लागू नहीं होता है क्योंकि उक्त प्रकरण पंजाब सरकार से संबंधित था तथा उक्त अधिनियम के तहत प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा अपने अलग नियम बनाये जाते है तथा उक्त न्यायिक दृष्टान्त में पंजाब सरकार द्वारा जो नियम बनाये गये उक्त नियमों में बेदखली की शक्तियां उपखण्ड मजिस्ट्रेट को प्रदान की गई थी। जबकि राजस्थान सरकार द्वारा उक्त अधिनियम के संबंध में ऐसे कोई नियम नहीं बनाये गये थे जिससे यह स्पष्ट होता है कि उपखण्ड मजिस्ट्रेट द्वारा बेदखली का अनुतोष दिया जा सकता हो। इसके बावजूद भी अधीनस्थ अधिकरण ने विधि विरूद्व जाकर उक्त आलौच्य आदेश पारित किया है जो अपास्त किये जाने योग्य है। अप्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित न्यायिक दृष्टान्त विनोद शर्मा बनाम श्रीमती शान्ति देवी व अन्य दिनांक 21.02.2022 प्रस्तुत किया गया था। उक्त न्यायिक दृष्टान्त में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट को प्राप्त शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख किया गया तथा उक्त अधिनिमम के तहत बनाये गये नियमों और उपखण्ड मजिस्ट्रेट को प्रदान की गई शक्तियों का भी स्पष्ट उल्लेख था जिसके अनुसार अधीनस्थ अधिकरण के द्वारा आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं था। अतः अधीनस्थ अधिकरण का आलौच्य आदेश दिनांक 08.04.2022 को अपास्त कर अपीलार्थी को प्रार्थीगण के साथ साझा गृहस्थी में शान्ति पूर्वक तरीके से अपनी वृद्वावस्था में रहने दिया जावे व किसी प्रकार से बेदखल नहीं करने हेतु अप्रार्थी गण को पावन्द किया जावे।

5. प्रत्यर्थी एवं उसके प्रतिनधि ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि अधीनस्थ अधिकरण ने एक परिवाद माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम--2007 के तहत पेश किया गया था जिस पर अधीनस्थ अधिकरण द्वारा उभय पक्ष को सुन कर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं कानून के परिपेक्ष्य में विधि सम्मत आलौच्य आदेश दिनांक 08.04.2022 को प्रार्थीगण के पक्ष में कर दिया तथा पुलिस थाना अधिकारी मुरलीपुरा को निर्देशित किया गया था कि प्रार्थीगण की स्वअर्जित सम्पत्ति से अप्रार्थी संख्या 1 को बेदखल करते हुये कब्जा सम्भला कर मय फोटोग्राफ व पालना रिपोर्ट 30 दिवस में न्यायालय मे प्रस्तुत करे। उक्त आउदेश दिनांक 08.04.2022 के विरूद्व अप्रार्थी अपीलार्थी कमलजीत सिंह द्वारा एस बी सिविल रिट पिटीशन नम्बर 6234/2022 माननीय राजस्थान उच्च

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। जिस पर अधीनस्थ अधिकरण ने द्वारा पारित आदेश को दिनांक 08.04.2022 को रद्दे कर दिया। तत्पश्चात माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुये कमलजीत सिंह द्वारा प्रस्तुत रिट को अपने आदेश दिनांक 01.05.2023 को एस बी सिविल रिट पिटीशन नम्बर 11941/2021 में खारिज फरमा दिया। जिसके विरूद्व कमलजीत सिंह द्वारा डी बी स्पेशल अपील रिट नम्बर 471/20123 भी प्रस्तुत की गई जिसे माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25.05.2023 को निरस्त कर दी गई। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों के तथ्य भी उक्त प्रकरण के तथ्यों से बिल्कुल भिन्न है एवं उनका इस प्रकरण से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। इसलिए अपीलार्थिया की ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त उक्त प्रकरण पर चस्पा नही होते है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

7. अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत कर अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आदेश 8.041.2022 जिसके द्वारा प्रत्यर्थी की स्व अर्जित सम्पत्ति मकान नम्बर 29 बजरंग विहार मुरलीपुरा जयपुर से अपीलार्थी बेदखल नहीं किये जाने का अनुतोष चाहा है। अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलार्थी से परेशान होकर उनको मकान से बेदखल किये जाने का अनुतोष चाहा था। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 की धारा 20 (5) इस प्रकार है–" किसी वरिष्ठ नागरिक के जीवन या सम्पत्ति के किसी खतरे की दशा में जिला मजिस्ट्रेट या सम्यकरूप से प्राधिकृत उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी का ऐसे वरिष्ठ नागरिक के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा करने का कर्तव्य होगा। " अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के तहत माता पिता या वरिष्ठ नागरिक की मांग पर पुत्र व पुत्रवधु को मकान से बेदखल करने का आदेश दिया जा सकता है। इस सम्बध में समय–समय पर माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी माता–पिता व वरिष्ठ नागरिक के पक्ष में निर्णय पारित किये गये है। इसी के सन्दर्भ में अधीनस्थ अधिकरण द्वारा प्रार्थीगण की स्व अर्जित सम्पत्ति के रूप में निर्मित मकान 29, बजरंग विहार, मुरलीपुरा का अप्रार्थी संख्या एक व अन्य जो अवैद्य रूप से निवासित है, को बेदखल करते हुए प्रार्थीगण को कब्जा सम्भलवा कर मय फोटोग्राफ कब्जा रिपोर्ट/पालना रिपोर्ट 30 दिवस में न्यायालय में पेश करने का आदेश पारित किया गया है। जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

8. आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी आमेर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 21.08.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner